भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



## असाधारण EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 47] No. 47] दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2014/चैत्र 10, 1936

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 276

DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2014/CHAITRA 10, 1936

[N.C.T.D. No. 276

भाग—IV PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

> दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली अधिसूचना

दिल्ली, 31 मार्च, 2014

सं. 216/नियम/डी.एच.सी..—भारत के संविधान के अनुच्छेद 235, पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 47 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, एतद्वारा "दिल्ली न्यायिक सेवा (अवकाश) नियमों, 2011" में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1. फॉर्म 2 के क्रम संख्या 11 के अंत में पाए जाने वाले शब्दों "केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमों, 1972"

को "दिल्ली न्यायिक सेवा (अवकाश) नियमों, 2011" से प्रतिस्थापित करेंगे |

नोट: यह संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा |

# HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI NOTIFICATIONS

Delhi, the 31st March, 2014

No. 216/Rules/DHC. — In exercise of powers conferred under Article 235 of the Constitution of India, Section 47 of the Punjab Courts Act, 1918 and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi hereby makes the following amendment in the "Delhi Judicial Service (Leave) Rules, 2011", namely:—

The words "Central Civil Services (Leave) Rules, 1972" occurring at the end of Serial No. 11 of Form 2,

shall be substituted by the words "Delhi Judicial Service (Leave) Rules, 2011".

NOTE: THIS AMENDMENT SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF ITS PUBLICATION IN THE GAZETTE.

सं. 217/नियम/डी.एच.सी..—भारत के संविधान के अनुच्छेद 235, पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 47 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, एतद्वारा "दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा (अवकाश) नियमों, 2010" में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1. फॉर्म 2 के क्रम संख्या 11 के अंत में पाए जाने वाले शब्दों "केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमों, 1972" को "दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा (अवकाश) नियमों, 2010" से प्रतिस्थापित करेंगे |

नोट: यह संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा |

न्यायालय के आदेशानुसार, संगीता ढींगरा सहगल, महानिबंधक

No. 217/Rules/DHC.—In exercise of powers conferred under Article 235 of the Constitution of India, Section 47 of the Punjab Courts Act, 1918 and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi hereby makes the following amendment in the "Delhi Higher Judicial Service (Leave) Rules, 2010", namely:-

1. The words "Central Civil Services (Leave) Rules, 1972" occurring at the end of Serial No. 11 of Form 2, shall be substituted by the words "Delhi Higher Judicial Service (Leave) Rules, 2010".

NOTE: THIS AMENDMENT SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF ITS PUBLICATION IN THE GAZETTE.

By Order of The Court, SANGITA DHINGRA SEHGAL, Registrar General

राजस्व विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 31 मार्च, 2014

सं.एफ.11(22)/रा.स्था./84(1)/4281.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब भू—राजस्व अधिनियम 1887 (1887 का एक्ट नं. XVII) की धारा 27(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री विजेन्द्र सिंह चौधरी, तहसीलदार, दिल्ली विकास प्राधिकरण को जब तक वे इस पद पर बने रहते है अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वामित्व अथवा प्रबंध की अधीनस्थ भूमि के लिए सहायक कलैक्टर, द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर एच.पी.एस.सरान, विशेष सचिव (मुख्यालय)

### REVENUE DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

Delhi, the 31st March, 2014

No. 11(22)/Rev.Estt./84(1)/4281 — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-clause (1) of section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon Sh. Vijender Singh Chaudhary, Tehsildar of Delhi Development Authority, the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in respect of land owned by or under the management of Delhi Development Authority, so long as he holds such post or till further orders whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi

H.P.S. SRAN, Spl. Secy. (HQ)

### व्यापार एवं कर विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 31 मार्च, 2014

सं. फा.: 5(54)/नीति/वैट/2013/पार्ट फा./1401-1413.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या फा.: 5(54)/नीति/वैट/2013/पार्ट फा./1123-1135 दिनांक 26.12.2013 के आंशिक संशोधन में, दूसरे पेरा में तथा छटी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 1 के, भाग-क दूतावासों की सूची तथा भाग-ख-अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सूची में, शब्द, 'प्रविष्टि संख्या' के स्थान पर 'क्रम संख्या' पढ़ा जाये।

अधिसूचना की अन्य विषय वस्तु उसी प्रकार रहेगी।

प्रशांत गोयल, आयुक्त (मूल्य संवर्धित कर)

# DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES NOTIFICATION

Delhi, the 31st March, 2014

No. F. 5(54)/Policy/VAT/2013/PF/1401-1413.— In partial modification of this department's Notification No. F. 5(54)/Policy/VAT/2013/PF/ 1123-1135 dated 26-12-2013, the word "entry Nos" appearing in second para and in the heading of table of 'Part A- List of Embassies' and 'Part-B List of International Organisations' of Entry No.1 of Sixth Schedule, may be read as "Sl.No."

Rest of the contents of the above said notification shall remain unchanged.

PRASHANT GOYAL, Commissioner, Value Added Tax